



# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संचयनी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोजना समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 11.11.2021  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_  
 डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_
2. ग्राम का नाम: शिवरिया  
 ग्राम पंचायत का नाम: शिवरिया  
 ब्लॉक का नाम: गैडास बुधुर्ग  
 जिला का नाम: बलराम पुर  
 राज्य का नाम: उ.प्र. प्रदेश  
 ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

## 1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा: 02 (संख्या) मवेशी कुर्छों को और 02 (संख्या) कपड़े धोने/पहनने करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने के लिए प्रतिदिन निश्चित लक्ष्य पर अर्थात् 10 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध 60-5 लीटर पानी को जल की आपूर्ति कर पूरे 24 घण्टे सार्वजनिक परिसरों का उपयोग करने के लिए एक सच.टी.सी. प्रदान करना।

जल, ग्राम समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध और आसानी से उपलब्ध के अलावा प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम अपने जल निष्कर्षों का समन्वय करते और उनकी रक्षा करते और उन्हें संचित नहीं करते। हम अपने गंतव्य जल की व्यवस्था करने और अपने सौंठ पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूजा लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोजना समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?  
 (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): VWSC  
 समिति को क्या कहा जाता है: पेरा जन स्व' स्व-रक्षा समिति  
 अध्यक्ष का नाम: रक्षा राम यादव  
 लिंग: पुरु  
 आयु: 52

B.L.

M  
P.C.



**सामान्य विवरण**

6.

2011 की जनगणना के अनुसार :

जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

वर्तमान पंचायत/ आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 16 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 225-867965 किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 252-66586 किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान नवोदय संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): पशु - 136 + भैंस - 145 = 281

9. कृषि फसल पैटर्न: त्रैमासिक वार्षिक

	प्रमुख फसलें	द्वितीय	रबी
गन्ना	गन्ना	गन्ना	✓ गन्ना
धान	धान	✓ धान	धान
मक्का	गहू	✓ गहू	
कपास			✓
अन्य	X		

10. जिला जिले का नाम (नि.सी.सी.):

468. प्रेम 0 श्री 0

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि):

समतल

**IV. स्थिति विश्लेषण**

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या रबी जल सवयम संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्यता बड़ों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल ✓	X नहीं	L हाँ	L हाँ
2.	आंगनवाड़ी ✓	-	-	-
3.	स्वास्थ्य केन्द्र X	X नहीं	-	-
4.	ग्राम पंचायत भवन ✓	-	L हाँ	L हाँ
5.	अन्य X	-	-	-



24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल रिचार्ज सरचना है? (हाँ/नहीं) नहीं है

25. गाँव में उन मीठूदा जल स्रोतों की सूची जिनका कायाकल्प/परम्परा बरक किया जाना आवश्यक है:

मंदल जल का प्रबंधन 252-66586X65+100

26. उत्पन्न मंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 164-232809 क.एन.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 12

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 35

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 02

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं) नहीं

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है? नहीं

यदि नहीं, तो मंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किसे कंपनी के तहत एक एन.एन.डी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अंतर्गत बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- वाटर थ्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकल/अधिकांश बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत हाँ मीठूदा जल स्रोतों की सहायता से सर्चि ग्राम पंचायत में की गयी है।  
 यह सारांश, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी पहले ही RWS को सौंप दिया गया है

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

पर्याप्त शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केंद्र/संस्था सरकार का विभाग	सम्बन्धित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	संलग्नित निधि
बाँहवाँ वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	पी-वाटर मैनेजमेंट इन्फ्रैस्ट्रक्चर आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.वी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	पी-वाटर मैनेजमेंट सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.डी.पी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	भूकृतिक सहायक प्रबंधन (एन.आर.एम.) चटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	

कृषि का क्षेत्र	संस्थागत	शुरू की जा सकती है	नियम
कृषि बाटरीशेड उपग्रह कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एस. पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरीशेड प्रबंधन/ आर. डब्ल्यू. एस./ कृषि सुधारण, जल निकासी का निर्माण वृद्धि आदि।	
जल संधारण की प्रणालियाँ, मशीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल संधारण का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के. पी. वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरीशेड से संबंधित काम	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी. एम. के. एस. वाई.)	कृषि प्रवर्धन और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक लागत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रबंधन, एकवीफर्स से जल की निकासी का काम करने के लिए	
सतियुक्त कृषिकरण कोष प्रदान और आयोजना परिष्करण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	कृषिकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, बाटरीशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी. एम. के. एस. वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर. डब्ल्यू. एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेशेवर आपूर्ति का प्रबंधन	
कृषि मंत्रालय काम	शक्ति संचयन	विभिन्न कठोरता के पास उपकरणों विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग और उपकरण मरिचकियाँ	
एम. पी. एस. पी.	सतियुक्त और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम. ओ. एस. पी. वाई.)	बड़े फसल का उप संरक्षण सतियुक्तियाँ	
एम. एस. ए. एस. ए. डी.	राज्य	अंतरात्म अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी. एस. एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतरात्म अवसरचना अंतरात्म अवसरचना	
दानदाता/प्रायोजक			



आसाम रोड

हासिम पारा

गैठडास बुजुर्ग ब्लॉक रोड

आम पंचायत - भितवरिया (करमहिया)  
विकास खण्ड - गैठडास बुजुर्ग  
अनपद - बलराम पुर

दुधरा रोड

प्रपक्व

पेडा

करमहिया

प्रपक्व

पानी की टंकी



B.T.L

दुधरा का

प्रपक्व

भितवरिया

S. Narayan

आम पंचायत अधिकारी  
विकास खण्ड बुजुर्ग  
गैठडास-बलराम पुर

M.P.C